2016/84

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 88/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कृष्णसिंह पुत्र बेरीशालसिंह उर्फ उगमसिंह, जाति राजपूत निवासी भींचावा तहसील मकराना जिला नागौर हाल निवासी बी.जे.एस. कोलोनी, जोधपुर		तहसीलदार, मकराना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री गंगासिंह कालवी ।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ।

आदेश दिनांक–12.10.2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा मौजा भींचावा के खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2 व 247/4 का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम स्वीकार करने हेतु दिनांक 28.4.2016 को एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी तहसीलदार मकराना के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु तहसीलदार मकराना द्वारा कार्यवाही नहीं करने के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार मकराना से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

प्रकरण मे उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को हूबहू दौहराते हुए अपनी बहस मे यह कथन किया की मौजा भींचावा तहसील मकराना की भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 247 रकबा 20.02 बीघा, खसरा नम्बर 247/1 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 247/2 रकबा 7.00 बीघा व खसरा नम्बर 247/4 रकबा 5.16 बीघा कुल रकबा 33.12 बीघा बीजेसिंह व बेरीशालसिंह पुत्रगण फतेहसिंह राजपूत के नाम दर्ज है, जिनका देहान्त हो चुका है। प्रार्थी बेरीशालसिंह का पुत्र होने से बेरीशालसिंह का एक मात्र उत्तराधिकारी है। दिनांक 6.9.2006 को प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार परबतसर को इस भूमि का नामान्तरकरण करने के लिए किया। इस पर तहसीलदार मकराना ने जॉच करके नामान्तरकरण करने के लिए पटवारी हल्का लिखने पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण भरा व भू राजस्व निरीक्षक ने जॉच की जिसे सही पाया उसके बाद यह नामान्तरकरण ग्राम पंचायत की बैठक में पेश किया जिसे ग्राम पंचायत ने इस नामान्तरकरण संख्या 518 को दिनांक 8.2.2007 को अस्वीकार कर दिया। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी मकराना ने अपील संख्या 5/07 को दिनांक 21.6.2010 को स्वीकार कर तहसीलदार को नामान्तरकरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध भंवरलाल, घनश्याम, बंकटलाल व सुगनीदेवी सभी जाति जांगीड़ द्वारा अपील पेश की गई, उक्त अपील संख्या 112/16 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा दिनांक 15.6.2012 को खारिज कर दी गई। इसके बाद कोई अपील नहीं की गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस को जारी रखते हुऐ यह भी कथन किया की एक अन्य भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 55.04 बीघा घोषणा खातेदारी के लिए सुरजाराम, प्रभुराम, जयराम, बालूराम, शिवलाल,

कलक्टर, नागौर

सुखाराम, सुखदेवराम, छोटूराम जाति जाट निवासी भींचावा ने बीजेसिंह व बेरीशालसिंह को प्रतिवादी बना कर किया किया, जो वाद संख्या 90/95 सहायक कलक्टर मकराना की कोर्ट से दिनांक 13.3.97 को डिक्री करवा लिया। इस डिक्री की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर की कोर्ट में की जो अपील संख्या 7/2002 थी जिसका निर्णय दिनांक 20.11.2009 को प्रार्थी के पक्ष में करके उक्त डिक्री 13.3.97 को निरस्त कर दी। इसके विरूद्ध सुरजाराम आदि ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की जो भी खारिज कर दी गई। इस राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय को रिव्यू करने के लिए प्रार्थना पत्र किया, जिसमें इस भूमि खसरा नम्बर 48 के बारे में श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय को स्थगित रखने के बारे में आदेश नहीं दिया, जिसकी सूचना तहसीलदार मकराना को भी दी गई। इस स्थगन आदेश का कोई वास्ता खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2 व 247/4 से कोई वास्ता नहीं है।

प्रार्थी मौजा भींचावा के खसरा नम्बर 44, 45, 247, 247/1, 247/2 व 247/4 का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम स्वीकार करने हेतु दिनांक 28.4.2016 को एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी तहसीलदार मकराना के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर ओ.के. मार्क करके लिखा कि यदि कोई न्यायालय का स्थगन या अपील न हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। इन खेतों के बारे में न तो कोई दावा चल रहा है न कोई अपील निगरानी है न कोई किसी भी तरह का स्थगन आदेश किसी कोर्ट का है सभी कार्यवाहीयों व निर्णयों की नकले भी तहसीलदार को दे दी गई है व जुबानी समझा दिया गया, मगर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं कर रहे है। दिनांक 31.8.2016 को प्रार्थी से शपथ पत्र भी मांगा गया जो भी सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रार्थी ने तहसीलदार मकराना को दे दिया है। कहा यह जा रहा है क स्थगन आदेश राजस्व मण्डल का है, जो खसरा नम्बर 48 के बारे में राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय की पालना स्थगित रखी गई है, जो इस भूमि से कोई वास्ता नहीं रखने का कथन करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.4.2016 व उसके साथ व संबंधित सभी कागजात तहसीलदार मकराना से मंगाये जाये व इस संबंध में उचित आदेश प्रदान करने अथवा किसी अन्य तहसीलदार के कार्यालय में उचित कार्यवाही के लिए भेजे जाये व तहसीलदार मकराना से स्पष्टीकरण मांगा जाये।

राजपैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मकराना द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी के नाम नामान्तकरण स्वीकृत नहीं करने बाबत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र एक शिकायत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मकराना द्वारा नामान्तरकरण नहीं करने के संबंध में किसी तरह की यदि कोई कार्यवाही नहीं जा रही है, तो प्रार्थी को अपनी शिकायत के संबंध में अभ्यावेदन सक्षम उच्चाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना में तहसीलदार मकराना द्वारा किसी अन्य पक्ष से मिलीभगत करने, अथवा उक्त कार्य को नहीं करने हेतु तहसीलदार मकराना पर किसी प्रकार का दबाव आदि होने का कथन नहीं किया है। प्रार्थी इस प्रकार की शिकायत का धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निस्तारण किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं हैं एवं जिस तत्कालीन तहसीलदार मकराना के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण भी हो चुका है। चूँकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार मकराना द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करने की शिकायत इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से की है। अतः तहसीलदार, (भू.अ.) कलेक्ट्रट नागौर को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थी की शिकायत के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाना उचित रहेगा।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुख्यतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी के नाम तहसीलदार मकराना द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत नहीं करने की शिकायत इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई है, उक्त तहसीलदार मकराना का स्थानान्तरण भी हो चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर को प्रेषित कर तहसीलदार मकराना द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत नहीं करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाना उचित है।

कलक्टर, नागौर

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर को भिजवाई जावे। तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में आवश्यक जॉच कर प्रकरण में तहसीलदार मकराना द्वारा वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत नहीं करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर यथोचित समयावधि में विधि सम्मत समाधान करवाना सुनिश्चित करावें। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) कलेक्ट्रेट नागौर व तहसीलदार मकराना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर, नागौर